

पंचायत राज दिवस

रिपोर्ट

दिनांक - 24-04-2023

स्थान - भूगोल विभाग

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2023 को 14वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान विभाग और भूगोल विभाग के संयुक्त तथावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन करते हुए भूगोल विभाग के प्रभारी डॉ. गौरव यादव ने कहा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं परी का निर्माण करने वाले संवैधानिक संशोधन को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है परी भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बाद शासन का तीसरा स्तर है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर के शासन के लिए जिम्मेदार है यह दिन 73 वें संवैधानिक संशोधन - 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल, 1993 के दिन को भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

कार्यक्रम में बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र विसैंद्र कुमार ने बताया कि गांवों में पंचायत राज व्यवस्था के आ जाने से गांवों की तस्वीर बदली है। एमए की छात्रा समीक्षा यादव ने बताया कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायत की सभी संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया है इस आरक्षण से महिलाओं की पंचायत में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है इससे उनका राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ है।

मुख्य वक्ता राजनीति विज्ञान विभाग के विभाग प्रभारी डॉ. नमो नारायण ने बताया कि पंचायती राज दिवस 2023 की इस बार की थीम टिकाऊ पंचायत स्वास्थ्य पर्याप्त जल स्वच्छ और हरित गांव का निर्माण है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस - 2023 की थीम टिकाऊ पंचायत: स्वास्थ्य, पर्याप्त जल स्वच्छ और हरित गांवों का निर्माण है। थीम का उद्देश्य स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करके अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ और हरित वातावरण बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। डॉ. नमो ने बताया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक लंबा इतिहास है जो प्राचीन काल से चल रहा है। पंचायत शब्द संस्कृत के शब्द पंच जिसका अर्थ है पांच और आयत जिसका अर्थ है 'सभा' से मिलकर बना है। भारत में पंचायत की व्यवस्था लगभग 300 ईसा पूर्व मौर्य काल में प्रचलित थी इस अवधि के दौरान प्रशासन विकेंद्रीकृत था और स्थानीय स्वशासन आदर्श था। राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई थी 2 अक्टूबर, 1959 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। 1993 तक भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन के माध्यम से इस

प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संशोधन में गांव ब्लॉक और जिला स्तर पर परी की क्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना को अनिवार्य किया गया।

डॉ. मल्लिखान सिंह ने कहा कि पंचायती राज दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के महत्व पर प्रकाश डालता है। डॉ. विजय वर्धन ने कहा कि परी ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। डॉ. स्वेता यादव ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं और समाज के हार्डवेयर रहने वाले वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के उपस्थित रहे छात्र-छात्राओं ने भी अपने विचार साझा किए।

(1) प्रो० राजेश चन्द्र पाण्डेय (प्राचार्य) -

(2) डॉ० गौरव यादव -

(7) सुनील कुमार Samir Kumar

(3) डॉ० नारायण

4- विजय वर्धन

5- डॉ० मल्लिखान सिंह

6- डॉ० अरवि यादव

- रिता तिवारी B.A. IV sem

- अभिषेक B.A.

- Ritu Yadav B.A.

- Nainey Soni B.A.

- Mahak Mishra B.A.

- ABHISHEK B.A.

- अरवि यादव B.A.

- Mayank B.A.

- Kapil B.A.

- Smrati Sharma BA

- Richy B.A.

- Khushboo BA.

- Endhi B.A.

महक मिश्रा

अभिषेक

Ritu

Ritney

महक मिश्रा

अभिषेक

अरवि यादव

Mayank

Kapil

Smrati Sharma

Richy

Khushboo

Endhi

15-	निकिता वर्मा	B.A	निकिता वर्मा
16-	Ram Rajoot	B.A	Raj
17	राज कुमार	B.A	राज कुमार
18-	Gauri	B.A.	Gauri
19	Nikki Singh	B.A.	Nikki
20	Chint Kumar	B.A.	Chint
21.	Janya Patel	B.A.	Janya.
22.	Dupshikha	B.A.	Dupshikha
23-	Deeksha Panchal	B.A	Deeksha Panchal
24.	Shruti Verma	B.A.	Shruti
25.	Abhishek Seeham	B.A.	Abhishek
26 & 27	Varun Saxena	B.A	Varun
27	Upavan Pratap	B.A.	Upavan P.
28	Raghu Pratap	B.A	Rag
29-	Neeraj Kumar	B.A	Neeraj
30-	Kashish Khan	B.A	Kashish
31.	Deeksha Patel	B.A	Deeksha
32.	Parul	B.A	Parul
33	Poochi Kaushik	B.A	Poochi Kaushik
34	Deepa	B.A	Deepa
35	Sonam Yadav	B.A	Sonam Yadav
35.	Vishal Kumar	B.A.	Vishal
36.	Abhishek Kumar	M.A (Pol. Sc.)	Abhishek
37.	Sampradha Yadav	M.A (Geo)	Sampradha

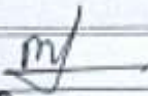
रिपोर्ट

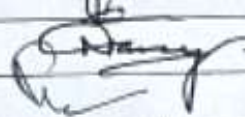
संविधान दिवस

दिनांक : 26 नवम्बर, 2022

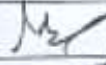
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत और शासन के निर्देशानुसार आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को संविधान निर्माण के दिवस को ध्यान में रखते हुए संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भूगोल विभाग के विभाग प्रभारी व मुख्य अनुसंधान अधिकारी डॉ. नौरव यादव, सजलीति विज्ञान विभाग के विभाग प्रभारी डॉ. नमो नारायण, भूगोल के प्राध्यापक श्री विजय वर्धन, सुश्री श्वेता यादव के द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन उपस्थित विद्यार्थियों के कराया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों के द्वारा संविधान के मूल्यों और प्रावधानों पर विचारों का प्रस्तुतीकरण दिया गया। बी ए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की छात्रा प्रिंसी ने संविधान के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला प्रिंसी ने बताया कि जब संविधान नहीं था तब हम सबका जीवन कैसा था? संविधान के तहत मिले अधिकारों से हम सबको व्यक्तित्व विकास के अवसर मिले हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार व अनुच्छेद 32, 226 में दिए गए रिट के अधिकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। डॉ. नमो नारायण ने बताया कि सन् 2015 को तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनावने की घोषणा की गई। डॉ. नौरव यादव ने बताया कि संविधान सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह बताता है। कोई भी सजलीतिक दल सत्ता पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब देश में आपातकाल लागू किया गया और इस दौरान संविधान में बड़े बदलाव किए गए जिसे जनता में स्वीकार नहीं किया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार गई। साथ ही शिक्षक शिक्षा विभाग में डॉ. शैलजा गुप्ता डॉ. राजेश पाटीवाल, डॉ. शशि तिवारी, डॉ. बृजेंद्र, डॉ. जितेंद्र जी के निर्देशन में सभी विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान के मूल्यों पर वर्षा परिवर्चा की गई।

Navy
24-11-22

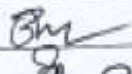
डा० भविष्यत सिंह 
विजयवर्धन

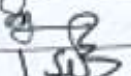
डा० मोनाराम - 

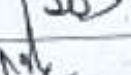
डा० गौरव यादव - 

रवीश यादव - 

डा० सुवर्ण कुमार बिप्रा - 

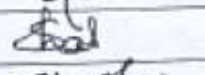
डा० विजेन्द्र कुमार - 

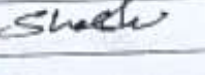
डा० सुरेन्द्र मोहन यादव - 

डा० रवीश कुमार शर्मा - 

डा० महेश्वरी रावत - 

डा० वीर शर्मा - 

डा० प्रमोद कुमार - 

डा० शैलजा गुप्ता - 

डा० शशि तिवारी - 

1	Harish Varadhan	M.A. IInd Sem	Akash
2	Akash Siddharth	M.A. IInd Sem	Akash
3	Gaurav	B.A. VIth Sem	Gaurav
4	Tanya Patel	B.A. VIth Sem	Tanya
5	Deepshikha	B.A. VIth Sem	Deepshikha
6	Raj Kumar	B.A. VIth Sem	Raj Kumar
7	Saurabh Verma	B.A. VIth Sem	Saurabh
8	Kajal	M.A. IInd Sem	Kajal
9	Varsha Kumari Kushwah	M.A. IInd Sem	Varsha
10	Pooja Gupta	M.A. IInd Sem	Gupta
11	Harish Varadhan	M.A. IInd Sem	Harish
12	Himanshu Prasad	B.A. IInd Sem	Himanshu
13	Sonali	B.A. IInd Sem	Sonali
14	Deepmala	B.S.C. IInd Sem	Deepmala
15	Rishi Patel	B.A. VI Sem	Rishi Patel

19-	Saumya Singh	M.A	Shikha
20-	Satyam Mishra	M.A	Shikha
21-	Laxmi Singh	M.A	Laxmi
22-	Ankita Patel	B.A	Ankita
23-	Naushin	B.A	Naushin
24-	Misha	B.A	Misha
25-	Saurabh Pathak	B.A	Saurabh Pathak
26	Ashish Kumar	B.A	Ashish
(27)	Shailendra Verma	B.Sc	Shailendra
(28)	Hrush Tiwari	M.A.	Hrush Tiwari

दिनांक - 04 फरवरी 2023

विषय - अन्तर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस (International Day of Human Fraternity) के अवसर पर संगीष्ठी का आयोजन।

आज 04 फरवरी को परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस एक संगीष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों या विश्वासों में जागरूकता बढ़ाना और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है।

संगीष्ठी की शुरुआत करते हुए परिषद संगीष्ठी के नगमा खानम ने इस दिन के इतिहास पर प्रकाश डालते बताया कि मानव बंधुत्व का पहला अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में करने के लिए एक प्रस्ताव प्रपनया। यह दिवस विश्व धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है, जिसे फरवरी के सप्ताह के दौरान के दौरान मनाया जाता है, जैसा कि मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था।

संगीष्ठी में उपस्थित अर्थशास्त्र विभाग प्रभारी डॉ. वर्षा राहुल ने कहा कि आज की दुनिया में असहिष्णुता, शत्रुता और संघर्ष बढ़ रहा है, लोगों के अनिर्वास हैं कि वे सभी मानवता द्वारा साझा किए गए सामान्य मूल्यों को याद रखें और अधिक शान्तिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर अग्रसर हों। इस को आगे बढ़ाते हुए डॉ. नीता गुप्ता ने कहा कि हमें पहले से कहीं अधिक मानवता के लिए सभी जातियों के बीच संवाद से बेहतर जागरूकता और समझ को योगदान की आवश्यकता है।

डॉ. कृपा शंकर यादव ने जोर देते हुए कहा कि यह स्वीकार करना चाहिए कि सहिष्णुता, बहुलता परम्परा, सम्मान, धर्म और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व बढ़ावा देती है। इस प्रकार यह जरूरी हो जाता है कि शान्ति और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए हमें एक ही आवाज में मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

इस आंतर पर परिषद से सम्बन्धित कर पदाधिकारी एवं
रस्य दान-दानार्थ उपस्थित रहे जिन्होंने उपस्थित वक्तव्यों
पर प्रत्येक कर अपनी जिम्मेदारियों को शान्त किया।

संगोष्ठी के अन्त में परिषद के सह-संयोजक
श्री सुनील कुमार जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 75/200
पर चर्चा करते हुए संगोष्ठी में आए हुए अतिथि वक्तव्यों
का आभार व्यक्त किया।

अतिथि वक्ता
डॉ. वृषा शकुल Vats
डॉ. नीता गुप्ता
डॉ. छपा शम्भू रावत

उपस्थित दान-दानार्थ
साबावेवी
पिंकेश रावत
Anshu Kaushik
Krishan Kant Verma
Mehar Mishra
Kajal
रोशनी
Pooja
Jyoti
Aashir Yadav
अंशुल
Rashmi

Dr. Sunil Kumar
श्री सुनील कुमार
सह संयोजक
राजनीति विज्ञान परिषद

Dr. Nagma Sharan
डॉ. नगमा शरानम्
संयोजक
राजनीति विज्ञान परिषद

दिनांक - 10 दिसम्बर 2023

विषय - अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के
परिचर्चा का आयोजन।

आज 10 दिसम्बर को परिषद की ओर से
मुद्दी जैसी वर्तमान में मानवाधिकार का
चार्टर में मानवाधिकार, भारत में मानवा
आयोग के कार्यों की समीक्षा जैसे अम्भी
गई।

इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष नीरज
अधिकार मानव के विरोध अस्तित्व के कारण
इसलिए ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं। मान
आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार
भी कहा जाता है।

वही परिषद की उपाध्यक्ष शेखी ने
कि भारत के संविधान में मानवाधिकार के
व्यक्त किया गया है। तथा सभी व्यक्ति
सिविल, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा
प्रदान किया गया है। इन अधिकारों की
मूलाधिकार शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया
के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1) क) 19(1)ख),
जिनमें मानवाधिकारों के सम्बन्ध में उल्लेख

इस परिचर्चा के दौरान
विचार रखते हुए कहा कि महिलाओं पर
उन पर धरे हुए हिंसा, वैशम्यकता बनाकार
ने पूरा ध्यान दिया है। मीडिया ने
गंभीर प्रकरणों को जुझारूपन से उजा
प्रस्तुत किया। जिससे सरकार की नीति
न्याय भी मिला। शुभाली के विचारों
नेहा ने कहा मानवाधिकार आयोग ने
कि उसे लगभग 30% गंभीर उपाय
मीडिया से के माध्यम से ही मिलती है
दीवान देवराज, शिवम, सुमन, शिवांग

इन विज्ञानियों की शान्त करते हुए परिषद
 प्रोफेसर डॉ. नगमा खानम ने कहा कि विश्व स्तर पर
 मानवाधिकारों के सन्दर्भ में बढ़ती जागरूकता को देखते
 हुए हमारे देश में मानवाधिकार-आयोग का गठन किया
 गया। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोग को कई अधिकार दिये गये हैं।
 आयोग न्यायालय की उस कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता
 है जो मानवाधिकार के उल्लंघन से सम्बन्धित है लेकिन
 आयोग द्वारा यह कार्य न्यायालय की अनुज्ञा से ही दिया
 जा सकता है।

चर्चा को भागे बढ़ते हुए श्री सुनील कुमार जी ने कहा
 कि हमी आयोग को काम करते हुए कुछ वर्ष ही दृष्ट है और
 अपनी सीमित स्वायत्ता के बावजूद उसने प्रगति की है। विभिन्न
 कार्यों से मुद्दों के निपटारे में देर और जेल प्रशासन के
 कुप्रबंधन से ये त्रुटियाँ और गम्भीर हो जाती हैं, जिसमें सुधार
 दिये जाने की जरूरत है।

इस प्रकार गम्भीर मुद्दों के पर विचार-विमर्श के
 साथ यह चर्चा समाप्त हुई।

छात्र-छात्राओं की उपस्थिति

- ~~Dr. Musal~~
- ~~Dr. Paul~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~
- ~~Dr. Singh~~

(11) Shubhali Dubey

श्री सुनील कुमार
 सह संयोजक

डॉ. नगमा खानम
 संयोजक